T/3099226/2024

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBA No. 20 /2024

No.2024/AC-I/6/1 New Delhi, dated: 02 -07-2024

The General Managers,
All Indian Railways & PUs etc.

Sub: - Creation of Primary Unit for accountal of expenditure on outsourcing of manpower for Track Maintenance activities.
Ref:- Railway Board's letter no. 2019/CE-I/GNS/4 dated 28.06.2024

Ministry of Railways (Railway Board) vide letter under reference has decided the Modified MCNTM Formulae'2024 – Norms/Yardsticks for Track Maintainers. In order to facilitate separate budgeting and accountal of expenditure incurred for Outsourcing of Manpower for Track Maintenance activities under Primary Units (Objects) of Expenditure (Revenue), it has been decided to introduce a New Primary Unit namely **"PU-49 - Outsourcing of Manpower for track maintenance"** in Classification of Accounts of Expenditure and Revenue governed by the guidelines given in IRFC Volume-II (Second Revised Edition 2022) Appendices, as per Advanced Correction Slip (ACS) no.08. enclosed herewith.

Contents of the correction slip may please be circulated suitably for information and compliance.

Please acknowledge the receipt.

DA: As above

Signed by
Vipul Tripathi
Date: 02-07-2024 16:39:14
(Vipul Tripathi)
Director Accounts
Railway Board

No.2024/AC-I/6/1 New Delhi, dated:02 -07-2024

Copy to:

i. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
ii. PFAs, Indian Railways.
iii. AC-II, AC-III, AC-IV, Code Revision, Accounts Inspection, Accounts Appropriation, Finance (Budget), Pay & Accounts/Rly Bd.
iv. RBCC for uploading in Accounts Compendium-2024
v. OSD/MR/OSD/Coord to MR, Additional PS/MR

I/3099226/2024

Advance Correction Slip No.8

INDIAN RAILWAY FINANCIAL CODE VOLUME-II

(Second Revised Edition 2022)

Classification of Accounts of Expenditure and Revenue (Appendix-I)

Please introduce the following new Primary Unit in Classification of Accounts of Expenditure and Revenue (Appendix-I):

"PU No. 49 – Primary Units (Objects) of Expenditure (Revenue) - Outsourcing of Manpower for track maintenance"

(Authority: Board's letter no. 2024/AC-I/6/1 dated 02 -07-2024)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

आरबीए सं. 20/2024
नई दिल्ली, दिनांक: 02-07-2024

सं. 2024/एसी-I/6/1

महाप्रबंधक,

सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।

विषय: रेलपथ अनुरक्षण गतिविधियों के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेने हेतु हुए खर्च के लेखे-जोखे के लिए प्राथमिक इकाई का सृजन।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.06.2024 का पत्र सं. 2019/सीई-I/जीएनएस/4.

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने संदर्भाधीन पत्र के तहत रेलपथ अनुरक्षकों के लिए संशोधित एमसीएनटीएम फॉर्मूला' 2024 - मानक/मानदंड विनिश्चित किए हैं। खर्च (राजस्व) की प्राथमिक इकाइयों (उद्देश्य) के अंतर्गत रेलपथ अनुरक्षण गतिविधियों हेतु जनशक्ति को ठेके पर लेने के लिए हुए खर्च हेतु अलग बजट व्यवस्था और लेखे-जोखे को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संलग्न शुद्धि पर्ची सं. 08 के अनुसार भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द-II (द्वितीय संशोधित संस्करण 2022) परिशिष्ट द्वारा शासित राजस्व खर्च का वर्गीकरण में "प्राथमिक इकाई-49 - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेना" नामक एक नई प्राथमिक इकाई खोलने का विनिश्चय किया गया है।

शुद्धि पर्ची की विषय-वस्तु को सूचना और अनुपालन के लिए उपयुक्त रूप से परिपत्रित किया जाए।

कृपया पावती दें।

(विपुल त्रिपाठी)
निदेशक, लेखा
रेलवे बोर्ड

सं. 2024/एसी-I/6/1

नई दिल्ली, दिनांक: 02-07-2024

प्रतिलिपि प्रेषित:

i. भारत के उप नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
ii. प्रधान वित्त सलाहकार, भारतीय रेलें।
iii. लेखा-II, लेखा-III, लेखा-IV, संहिता संशोधन, लेखा निरीक्षण, लेखा विनियोग, वित्त (बजट), वेतन एवं लेखा/रेलवे बोर्ड।
iv. लेखा सार-संग्रह-2024 में अपलोड करने के लिए आरबीसीसी।
v. विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, रेल मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 8

भारतीय रेल वित्त संहिता जिल्द II
(द्वितीय संशोधित संस्करण 2022)

खर्च और राजस्व का लेखा-वर्गीकरण (परिशिष्ट -I)

कृपया खर्च और राजस्व का लेखा-वर्गीकरण (परिशिष्ट -I) में निम्नलिखित नई प्राथमिक इकाई जोड़ें:

"प्राथमिक इकाई सं. 49 - खर्च (राजस्व) का प्राथमिक इकाई उद्देश्य - रेलपथ अनुरक्षण के लिए जनशक्ति को ठेके पर लेना"

(प्राधिकार: बोर्ड का दिनांक 02.07.2024 का पत्र सं. 2024/एसी-I/6/1)
